

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/24/ 5861

दिनांक 15/12/25

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय:- IFMS 3.0 पर FVC बिल प्रक्रिया के ऑनलाइन प्रशिक्षण बाबत।

संदर्भ:- वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग का परिपत्र दिनांक 5322 दिनांक
14.11.2025

महोदय,

विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा IFMS 3.0 पर FVC बिल तैयार किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। FVC बिलों की प्रक्रिया के संबंध में विभागों के संबंधित कार्मिकों हेतु दिनांक 16.12.2025 को 3.00 बजे से ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण का लिंक निम्न है :-

<https://tinyurl.com/w9kskyjj>

अतः आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के संबंधित कार्मिक को ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त लिंक के माध्यम से उपस्थित होने (Join करने) के लिए निर्देशित किए जाने का अनुरोध है।

भवदीय

(संध्या शर्मा)
15/12/25

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/24/ 5862-66

दिनांक 15/12/25

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तीय सलाहकार, समस्त।
2. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. कोषाधिकारी, समस्त।
5. Oracle/PWC/E&Y टीम को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत।

(संयुक्त शासन सचिव)
अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)